राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर
(जी–3, राजमहल रेजीडेन्शिल ऐरिया, सिविल लाइन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांकः एफ. पीए/सीएओ/डीएलबी/पीडी भुगतान/2017/107-112 दिनांक 8-11-17

1. कार्यकारी निदेशक,रूडसिको
2. प्रबन्ध निदेशक, सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/कोटा
3. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका, समस्त राजस्थान।

विषयः–पे–मैनेजर (पी0डी0 खातेकेशेषों से)/पी0एफ0एम0एस0/बैंक खातों/भामाशाह पोर्टल से भुगतान करने के क्रम में दिशानिर्देश।

सन्दर्भः–वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ.5(थ–75)डीटीए/आईएफएमएस/पीडी इलेक्ट्रोनिक्स/14633–15132 दिनांक 11.10.2017

वित्त विभाग के सन्दर्भित परिपत्र एवं पूर्व में जारी समसंख्यक पत्रों के अनुक्रम में पे–मैनेजर(पी0डी0 खातेकेशेषों से)/पी0एफ0एम0एस0/बैंक खातों/भामाशाह पोर्टल से भुगतान करने के क्रम में अनुरोध है कि वित्त विभाग से जारी समस्त दिशा–निर्देशों का ध्यान पूर्वक अवलोकन कर पालना सुनिश्चित करें। उक्त परिपत्रों के क्रम में सुलभ सन्दर्भ हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैंः–

01. pripaymanager. raj.nic.in पोर्टल के माध्यम से भुगतान– समस्त निकायों में कार्यरत कार्मिकों के वेतन भत्तों का भुगतान pripaymanager. raj.nic.in पोर्टल के माध्यम से ही किया जाना है। इस सम्बन्ध में अधिकांश पदों को मैप करवा दिया गया है। जो पद मैप होने से रह गये हैं, उनको सम्बन्धित निकाय के पी0डी0 खाते से मैप करवाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में निकायों से सूचनाएं मांगी गई है।यदि वेतन भत्तों के भुगतान हेतु सम्बन्धित बजट मद से पी0 डी0 खाते में राशि अवशेष उपलब्ध नहीं है तो निजी आय को पी0 डी0 खाते में हस्तानान्तरित कर भुगतान की कार्यवाही करें।

02. PFMS पोर्टल के माध्यम से भुगतानः– केन्द्रीय प्रवृर्तित योजनाएं जो PFMS पोर्टल से लिंक करवाई जा चुकी है। उनका भुगतान PFMS पोर्टल के माध्यम से ही किया जावें। इन योजनाओं को IFMS तथा भामाशाह पोर्टल से इन्टीग्रेट करवाये जाने की कार्यवाही निदेशालय स्तर से की जा रही है।

03. paymanager. raj.nic.in पोर्टल के माध्यम से भुगतानः– पी0डी0 खाते के अवशेषों से निकायों में कार्यरत कार्मिकों के वेतन भत्तों के भुगतान के अतिरिक्त समस्त प्रकार के भुगतान paymanager. raj.nic.in पोर्टल के माध्यम से किये जाने है। इस माध्यम से

यदि किसी स्कीम के तहत लाभार्थियों को डी0बी0टी0 के रूप में सीधे उनके खातों में राशि हस्तानान्तरित की जानी है तो भामाशाह पोर्टल के माध्यम से भुगतान प्रकिया अपनाई जावे। इसके लिये भामाशाह पोर्टल पर लाभार्थियों का भामाशाह आई0डी0 कमांक तथा भुगतान योग्य राशि का अंकन करना होगा तथा भुगतान स्वीकृति भामाशाह पोर्टल के माध्यम से ही जारी की जावे। भामाशाह पोर्टल की भुगतान स्वीकृति की आई0 डी0 का उपयोग paymanager. raj.nic.in पोर्टल पर करते हुए बिल के माध्यम से भुगतान किया जावे।

04. बैंक खातों के माध्यम से भुगतान :– जो बैंक खाते PFMS पोर्टल पर लिंक नहीं है, यदि उन बैंक खातों के माध्यम से किसी स्कीम के तहत लाभार्थियों को डी0बी0टी0 के रूप में सीधे उनके खातों में राशि हस्तानान्तरित की जानी है तो भामाशाह पोर्टल के माध्यम से वित्त विभाग के परिपत्र कमांक एफ.5 (थ–5) DTA/IFMS/PD Electronic/14633-15132 दिनांक 11.10.2017 के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार भुगतान प्रकिया अपनाई जावे। इसके लिये भामाशाह पोर्टल पर लाभार्थियों का भामाशाह आई0डी0 कमांक तथा भुगतान योग्य राशि का अंकन करना होगा तथा भुगतान स्वीकृति भामाशाह पोर्टल के माध्यम से ही जारी की जावे। भुगतान Rajasthan Payment Platform इंजिन का प्रयोग करते हुए किया जावे।यदि वेन्टर/थर्ड पार्टी को भुगतान किया जाता है तो भी यही प्रक्रिया अपनाई जावे इसमें भामाशाह पोर्टल पर वेन्टर/थर्ड पार्टी का पंजियन किया जावे।

05. भामाशाह पोर्टल का उपयोग करने हेतु दिशा निर्देश:– निकायों में भामाशाह पोर्टल का उपयोग करने हेतु भुगतान प्रकिया से जुडे हुए कार्मिकों की SSO ID अनिवार्य होगी। इसके लिये जो कार्मिक बिल तैयार करेगा वह कार्मिक भामाशाह पोर्टल पर Maker के रूप में कार्य कार्य करने हेतु अपनी SSO ID का उपयोग करेंगे तथा जो कार्मिक अथवा लोक सेवक चैक पर भुगतान हेतु अधिकृत है वह Checker के रूप में कार्य करने हेतु अपनी SSO ID का उपयोग करेंगे। अतः प्रत्येक निकाय में इन कार्मिकों तथा लोक सेवकों की SSO ID बनवाया जाना आवश्यक है। भामाशाह पोर्टल पर भुगतान करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय की OFFICE ID तथा बैंक का पंजीयन करवाया जाना आवश्यक होगा।

06. यह दिशा निर्देश रूडसिको तथा समस्त सीट ट्रांसफोर्ट सर्विस लि. पर भी लागू होगे।

भामाशाह पोर्टल का कार्य **DOIT&C द्वारा देखा जा रहा है। इसके कार्यालय ब्लॉक स्तर पर कार्यरत हैं। अतः समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारियों से अनुरोध है कि अपने कार्मिकों को आपके कार्यालय के निकट स्थित DOIT&C कार्यालय में जाकर सर्म्पक करने एवं समस्त प्रकिया समझने हेतु आदेशित करे।**

(हुलास राय पवार)
मुख्य लेखाधिकारी